सामाजिक न्याय एव दिव्यागजन सशक्तिकरण सचालनालय, मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड़ नम्बर 3, भोपाल - 462016
ई-मेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./दि.स./I/510049/2025 दिनांक : 22-09-2025

प्रति,
संयुक्त /उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला समस्त मध्यप्रदेश ।

विषय:- मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऑनलाईन क्रियान्वयन करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी., म.प्र. के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाईन नवीन प्रणाली विकसित कराई गई है। उक्त नवीन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये :-

1. दिव्यांग छात्र / छात्राएं स्वयं पात्रतानुसार ऑनलाईन आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते है।
2. जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन संशक्तिकरण,जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों को पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना सुनिश्चित करें।
3. जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन संशक्तिकरण ऑफलाईन प्राप्त आवेदन अथवा ऑनलाईन दर्ज आवेदन का दस्तावेज के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा अपात्र होने पर अस्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
4. उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अध्यनरत छात्र/छात्राओं से 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्राप्त किये जाये।
5. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही 15 नवम्बर 2025 तक सुनिश्चित की जाये।
6. स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल क्रय करने की कार्यवाही 30 नवम्बर 2025 तक नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।
7. स्वीकृत आवेदनों को उनकी पात्रतानुसार लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2025) को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किये जाये।
8. लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित करने के उपरांत प्रदाय सामग्री की जानकारी को 10 दिसम्बर 2025 तक पोर्टल पर वितरित दिनांक एवं फोटो (वितरण करते समय लिया गया फोटो) सहित अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये, साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित आवेदनों का निराकरण कर वितरित लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Suchita Tirkey Beck
Date: 22-09-2025
16:44:58

संयुक्त संचालक(दि.स.)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./दि.स./I/510049/2025 दिनाक : 22-09-2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र ।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म. प्र.।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई .सी , म.प्र.।
7. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र, कृपया स्पर्श पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
8. समस्त अधीक्षक/प्राचार्य, विभागीय शासकीय विशेष विद्यालय जिला इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, बैतूल एवं खरगोन, म.प्र. , आपके विद्यालय में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवेदन पोर्टल पर ऑनलाईन कराना सुनिश्चित करें।
9. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.।

संयुक्त संचालक(दि.स.)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण म.प्र.